

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सीवान-01।

पत्रांक...2123... / सीवान, दिनांक...24/10/24
प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, सीवान-01।

सेवा में,

शशि शेरवर सिसोदिया
ग्राम-मेरवा
सीवान
जिला-सीवान

विषय:- PMGSY/MMGSY/3054/MR/GTSNY अन्तर्गत श्रीनगर पंचायती पथ में
असुरक्षित पथ से नष्ट के बिना क्षतिग्रस्त पथ के रूटीन अनुरक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेश देना है कि विषयांकित पथ पाँच वर्षीय अनुरक्षण के अधीन है। इस पथ में आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है। जो कि एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं का घोर उलंघन है। इस संबंध में इसके पूर्व भी कई बार मौखिक/लिखित रूप से भी निदेश दिया गया है। साथ ही इस विषय पर विभाग द्वारा भी आपति जतायी गई है।

अतः विभाग द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि पथ में अनुरक्षण कार्य पत्र प्राप्ति के तीन दिनों में संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता की देख रेख में पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करे, अन्यथा एकरारनामा/एस0बी0डी0/एम0बी0डी के सुसंगत कंडिकाओं 17 एवं 33 के तहत आपके एकरारनामा को विखंडित कर काली सूची में दर्ज करने हेतु उच्चाधिकारियों को अनुशंसा कर दी जायेगी।

कृपया इस पत्र को गंभीरता से ले।

विश्वासभाजन,

Shari
24/10/24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, सीवान-01